आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/आकाशि/रिफ्रे/शार्ट टर्म/जयपुर/15/817 दिनांकः 23 जनवरी, 2019

डॉ. मीता माथुर
उप निदेशक,
यू.जी.सी. मानव संसाधन विकास केन्द्र,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

विषयः दिनांक 28.01.2019 से 16.02.2019 तक Research Methodology in Social Sc. and Humanities (Inter disciplinary) विषय पर आयोजित रिफ्रेशर कोर्स बाबत।

सन्दर्भ : विभाग का पत्रांक 815 दिनांक 22.01.19 एवं आपका पत्रांक एफ. ( )एचआरडीसी/2018/1286 दिनांक 23.01.19 एवं 1291 दिनांक 24.01.19

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि दिनांक 28.01.2019 से 16.02.2019 तक Research Methodology in Social Sc. and Humanities (Inter disciplinary) विषय पर आयोजित रिफ्रेशर कोर्स मे भाग लेने के लिए निम्नलिखित सहायक/सह आचार्यो को मनोनीत किया गया था। उक्त सूची में क्रम संख्या 01, 02, 03, 05, 06 एवं 07 के मनोनयन को निरस्त करते हुये इनके स्थान पर निम्न सहायक/सह आचार्यो को मनोनीत किया जाता है :–

निरस्त किये जाने वाले सह/सहायक आचार्यो की सूची

क्र.सं.	नाम (श्री/श्रीमती/डॉ.) सह/सहायक आचार्य	विषय	महाविद्यालय का नाम
1	निमिष गुप्ता	व्या.प्रशासन	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर
2	चित्रा मीना	भूगोल	राजकीय महाविद्यालय, राजगढ, अलवर
3	प्राची शास्त्री	भूगोल	राजकीय महाविद्यालय, कालाडेरा
5	रामनरेश	प्राणिशास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, राजगढ, अलवर
6	हितेश कुमार गुप्ता	ए.बी.एस.टी.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा
7	कैलाश चन्द्र सैनी	हिन्दी	राजकीय कन्या महाविद्यालय, सीकर

मनोनीत किये जाने वाले सह/सहायक आचार्यो की सूची

क्र.सं.	नाम (श्री/श्रीमती/डॉ.) सह/सहायक आचार्य	विषय	महाविद्यालय का नाम
1	रंजीता गर्ग	समाजशास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, भीलवाडा
2	नरेन्द्र कुमार परेवा	समाजशास्त्र	राजकीय कला महाविद्यालय, दौसा
3	विजय कुमार बंशीवाल	अंग्रेजी	राजकीय महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर
4	अनिता प्रजापत	हिन्दी	राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर
5	राजेन्द्र कुमार सिंघवी	हिन्दी	राजकीय महाविद्यालय, निम्बाहेडा
6	नवीन पारीक	अंग्रेजी	राजकीय महाविद्यालय, सरदारशहर

उक्त कोर्स में उपस्थित एवं अनुपस्थित होने वाले सहायक/सह आचार्यो की सूची आयुक्तालय को भिजवायें जिससे कि अनुपस्थित रहने वाले सहायक/सह आचार्यो के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सके।

उक्त कोर्स में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को यात्रा भत्ता आपके द्वारा देय होगा। शेष अन्य व्यय प्रतिभागियों को स्वयं के स्तर पर वहन करना होगा।

भवदीय

संयुक्त निदेशक (अकादमिक)
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/आकाशि/रिफ्रे/शार्ट टर्म/जयपुर/15/817 दिनांकः जनवरी, 2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संबंधित प्राचार्य कृपया निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें :–

(अ) दिनांक 31.12.2008 से कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम(सी.ए.एस.) के तहत सभी सह/सहायक आचार्यो को वरिष्ठ वेतनमान के लिए एक ओरियेन्टेशन व एक रिफ्रेशर कोर्स, चयनित वेतनमान के लिए वरिष्ठ वेतनमान के पश्चात एक रिफ्रेशर कोर्स एवं पे–बैण्ड IV के लिये चयनित वेतनमान के पश्चात एक रिफ्रेशर/शार्ट टर्म कोर्स करना अनिवार्य है ।

(ब) महाविद्यालयों के जिन मनोनीत सह/सहायक आचार्यो को सी.ए.एस. के तहत कोर्स करना आवश्यक हो केवल उन्हें ही कार्यमुक्त करें।

(स) मनोनीत सह/सहायक आचार्यो (सी.ए.एस.के तहत पात्र) को उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए दिनांक 28.01.2019 को प्रातः 9.00 बजे निदेशक, यू.जी.सी. मानव संसाधन विकास केन्द्र राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करें।

(द) प्राचार्य मनोनीत प्राध्यापकों को समय सारिणी का समायोजन कर कार्य मुक्त करें।

(य) दिनांक 01.01.2008 की गाइड लाइन की पालना करते हुये सर्विस बुक से परीक्षण कर यह सुनिश्चित करे की नामांकित व्याख्याता को अगली पदौन्नती के लिए कोर्स की आवश्यकता है या नहीं,उपरोक्त शर्त की पालना की व्यक्तिगत जवाब देही स्वयं प्राचार्य की होगी।

2. संबंधित व्याख्याता ने यदि सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ/चयनित/पे–बैण्ड IV के लिये आवश्यक कोर्स कर रखे है तो वे प्राचार्य को लिखित में सूचित करें कि उन्हें कोर्स की आवश्यकता नहीं है । जो व्याख्यता तथ्य छुपाकर कार्यमुक्त होगें उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त किये गये व्याख्याता द्वारा कोर्स में भाग नहीं लेने पर संबंधित व्याख्याता के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा उन्हें एक वर्ष तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, एच.आर.डी., कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर
5. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर/ कोटा/ उदयपुर/ अजमेर/ जोधपुर/बीकानेर।
6. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कृपया आयुक्तालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
7. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक (अकादमिक)
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर